दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 13.12.2023
उदघोषित: 09.01.2024

रि.या.(सि.) 1800/2015 एवं सि.वि.आ. 23320/2023

भारतीय उर्वरक संघ एवं अन्य ...याचीगण

द्वारा: श्री अरविंद के. निगम, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शरद कुमार सनी, श्री केशव मान एवं श्री रोहन दुआ, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, कें.सर.स्था.अधि. के साथ श्री वरुण अग्रवाल, श्री फरमान अली, सुश्री अस्तु खंडेलवाल, श्री यशार्थ शुक्ला, श्री अमन रेवरिया, सुश्री उषा समनाल, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

निर्णय

1. यह याचिका याचीगण द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:

"क. उत्प्रेषण रिट और/या कोई अन्य उचित रिट या निर्देश जारी करके अभिलेख मांगे जाएं और उर्वरक विभाग के प्रत्यर्थी सं.-2/अवर सचिव द्वारा दिनांक 09.12.2014 को पारित आदेश को भेदभावपूर्ण, अनुचित, असमान और अन्यायपूर्ण बताते हुए अपास्त किया जाए;

ख. परमादेश रिट और/या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें प्रत्यर्थी को यह निर्देश दिया जाए कि वह बिल प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर भुगतान/प्रतिपूर्ति/सब्सिडी राशि जारी करने के लिए कार्यवाही करे और इसका सख्ती से पालन करे और यूरिया के लिए 30.1.2003, 08.03.2007 और 02.04.2014 को अधिसूचित नीतियों के उद्देश्यों के साथ-साथ शर्तों के अनुरूप हो, जो अवधि पी एंड के उर्वरकों के निर्माताओं के लिए भी समान रूप से लागू होती है, पी एंड के उर्वरकों के लिए 12.09.2007, 11.07.2008 और 04.03.2010 के तहत और एसएसपी के लिए 25.08.2008 और 21.04.2010 और 05.08.2002 के तहत भुगतान प्रक्रियाओं सही अर्थों में समान रूप से लागू होती है;

ग. परमादेश रिट और/या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाए कि वह निर्धारित अवधि के भीतर उक्त इकाइयों के साथ उचित परामर्श करके याचीगण-संघ की सदस्य इकाइयों को सब्सिडी के विलंबित भुगतानों पर आज तक का ब्याज का भुगतान 'सिद्धांत रूप में' करे।

2. याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने शुरुआत में ही, यूरिया उर्वरक, और फॉस्फेटिक एवं पोटाश (संक्षेप में, 'पीएंडके') उर्वरक [जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) उर्वरक भी शामिल हैं] के लिए सब्सिडी के विलंब से भुगतान के लिए व्यतिकारी दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए याचीगण की प्रार्थना का विरोध किया है।

<u>याचीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ</u>

3. याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक यूरिया उर्वरक का संबंध है, इसके लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (संक्षेप में, 'एम.आर.पी.') प्रत्यर्थीगण द्वारा तय किया जाता है। तथापि, यह इसके उत्पादन लागत से काफी कम है और इसका उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराना है। यूरिया उर्वरक के उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित निम्न एम.आर.पी. के कारण कम प्राप्ति को प्रतिपूर्ति करने के लिए, प्रत्यर्थी यूरिया उर्वरक उत्पादकों अर्थात् याचीगण को सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण मूल्य और उनके विक्रय मूल्य के द्वारा उनकी निवल वसूली के बीच के अंतर का भुगतान करते हैं।

4. याचीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि हालांकि इसे सब्सिडी कहा जाता है, हालांकि, किसानों द्वारा वास्तविक सब्सिडी का लाभ उठाया जा रहा है क्योंकि वे उचित मूल्य से बहुत कम कीमत पर यूरिया उर्वरक खरीदते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा यूरिया उर्वरक निर्माताओं को किया गया भुगतान, अनिवार्य रूप से, यूरिया उर्वरक निर्माताओं को एक निश्चित और उचित लाभ के साथ किए गए लागत मूल्य की प्रतिपूर्ति है।

5. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त व्यवस्था नई मूल्य निर्धारण योजना - III (संक्षेप में, 'एन.पी.एस.-III') खंड 7 (iv) द्वारा नियंत्रित है; में कहा गया है कि अलग-अलग इकाइयों को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति 45 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी याचीगण कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान

में 45 दिनों की निर्धारित अवधि से बहुत अधिक विलंब किए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी, हालांकि, सब्सिडी के ऐसे विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, जिसके कारण याचीगण के पास नकदी की कमी हो जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन.पी.एस-III के खंड 7(iv) के मद्देनजर, याचीगण की अपेक्षा उचित है कि सब्सिडी का भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाए ताकि उनका काम सुचारू रूप से हो सके। चूंकि भुगतान की समय-सीमा का पालन नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यर्थीगण को सब्सिडी की भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए सब्सिडी की उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

6. याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक पीएंडके उर्वरक का संबंध है, दिनांक 05.08.2002 की अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त सब्सिडी के दावे को उसी महीने के दौरान भुगतान के लिए प्रक्रमित किया जाना है, जबकि शेष दावों की प्रक्रिया अगले महीने में पूरी की जा सकती है।

7. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीएण्डके उर्वरकों पर लागू पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (संक्षेप में, 'एन.बी.एस.') योजना के तहत, पीएंडके उर्वरकों में निहित पोषक तत्व सामग्री के प्रति किलोग्राम (संक्षेप में, 'के.जी.') के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा सब्सिडी की दर तय की जाती है। सरकार द्वारा सब्सिडी की दरें चार पोषक-तत्वों अर्थात् एन (नाइट्रोजन), पी (फॉस्फेट), के (पोटाश) और एस (सल्फर) के लिए अधिसूचित की जाती हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.)

को 01-05-2010 से एन.बी.एस. योजना के दायरे में लाया गया है। हालाँकि, उक्त अधिसूचना ने दिनांक 05.08.2002 की पूर्व अधिसूचना में निर्धारित आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं किया जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त दावे पर उसी माह के दौरान भुगतान के लिए कार्रवाई की जानी है, जबकि उसके बाद प्राप्त दावे पर कार्रवाई की जाएगी तथा आगामी महीनों में भुगतान किया जाएगा।

8. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण ने याचीगण कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान करने में निर्धारित अवधि से बहुत अधिक देरी की है, इस तरह के विलंबित भुगतान के लिए कोई ब्याज का भुगतान भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह याचीगण की वैध अपेक्षा का उल्लंघन है कि सब्सिडी का भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाए।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीति के संदर्भ में, प्रत्यर्थी याचीगण कंपनियों से *"मूल उधार दर"* के आधार पर 14.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज ले सकती है, और आगे के विलंब पर 14.75% प्रति वर्ष की दर के अलावा 3% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज ले सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि इसी तरह का प्रावधान क्यों नहीं किया जाए, जहां प्रत्यर्थी को भी याचीगण को देय सब्सिडी का भुगतान करने में विलंब होने पर ब्याज का भुगतान करना पड़े।

10. याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यूरिया और/या पीएंडके उर्वरकों पर लागू योजना में, सब्सिडी के भुगतान में विलंब होने के कारण प्रत्यर्थीगण द्वारा ब्याज के भुगतान करने पर विशेष रूप से कोई प्रतिषेध नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा तैयार की गई नीति प्रशासनिक आदेश प्रकृति की है और इसलिए, विलंबित भुगतान पर प्रत्यर्थीगण द्वारा ब्याज के भुगतान के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, प्रत्यर्थीगण को याचीगण को विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। समर्थन में, उन्होंने ***डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ*** (2006) 3 एस.सी.सी. 129 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

11. ***बिहार राज्य और अन्य बनाम कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड,*** (2010) 3 एस.सी.सी. 274 के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि प्रत्यर्थी याचीगण को सब्सिडी जारी करने के लिए 45 दिनों की समय-सीमा का पालन करने के लिए बाध्य हैं, और निश्चित समय अवधि में भुगतान करने में विफल रहने पर, प्रत्यर्थीगण को इस तरह के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है।

12. ***सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य बनाम जीसी रॉय***, (1992) 1 एस.सी.सी. 508, और ***क्लैरिएंट इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड***, (2004) 8 एस.सी.सी. 524 के

मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचीगण को स्वयं अपने ही धन के उपयोग से वंचित किया गया है, इसलिए वे ब्याज के भुगतान के द्वारा इस तरह के अभाव के लिए मुआवजे पाने के लिए वैध रूप से हकदार हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए, इस न्यायालय को प्रत्यर्थीगण को सब्सिडी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए "सिद्धांतः" निर्देश देना चाहिए।

<u>प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ</u>

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विलंब से सब्सिडी का भुगतान करने पर ब्याज के भुगतान के लिए नीति/योजना में किसी प्रावधान के अभाव में, याचीगण इस तरह के ब्याज का दावा नहीं कर सकते हैं। समर्थन में, उन्होंने ***राम गंगा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ,*** 1993 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 399; ***दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ,*** 1996 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 433; और ***वरिंदर एग्रो केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ,*** 1999 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 388 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किए हैं और ***एचएंडआर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत सरकार,*** 2012 एस.सी.सी. ऑनलाइन मद्रा. 147 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किए हैं।

14. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी, याचीगण सब्सिडी के भुगतान में किसी भी देरी पर ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि याचीगण को उर्वरक की लागत निर्धारित करने के लिए यूरिया और पीएंडके उर्वरक दोनों के मामलों में ब्याज घटक पर विचार किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचीगण को विलंबित भुगतान के लिए ब्याज के भुगतान का हकदार माना जाता है, तो इससे याचीगण को अनुचित लाभ होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। समर्थन में, उन्होंने ***महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ*** और अन्य, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 248 में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

15. उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन.बी.एस. योजना के तहत, उर्वरक उत्पादक/आयात करने वाली कंपनियों पर योजना के तहत खुद को पंजीकृत कराने की कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी इच्छुक उर्वरक कंपनी, जो अधिसूचित पीएण्डके उर्वरक ग्रेड (वर्तमान में 25 ग्रेडों को एन.बी.एस. के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है) का उत्पादन अथवा आयात कर रही है, प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकती है। इसलिए, यह स्वैच्छिक प्रकृति का है।

16. उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में, यह शर्त कि सब्सिडी का भुगतान 45 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा, केवल यूरिया उर्वरकों के संबंध में लागू होता है, जहां पुनः, सब्सिडी के विलंब से भुगतान करने पर ब्याज के भुगतान के लिए योजना में कोई खंड नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि इस तरह के प्रावधान के अभाव में, यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचीगण को ब्याज के भुगतान को अनिवार्य नहीं कर सकता है।

<u>याचीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ</u>

17. प्रत्युत्तर में, याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण का यह दावा कि उर्वरकों के निर्माण/आयात की लागत तय करते समय ब्याज घटक को ध्यान में रखा जाता है, गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला ब्याज घटक सब्सिडी के विलंबित भुगतान के लिए नहीं है, बल्कि कार्यशील पूंजी के लिए वित्तपोषण शुल्क सहित लागत के अन्य घटकों पर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचीगण कंपनियों द्वारा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण को लागत डेटा प्रस्तुत करते समय सब्सिडी के भुगतान करने में प्रत्यर्थीगण द्वारा कितना विलंब होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अभिवाक, किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थीगण द्वारा केवल एक अनुबोध के रूप में उठाई गई है और वर्तमान याचिका में प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र का हिस्सा नहीं है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

18. मैंने पक्षकारगण के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

19. प्रत्यर्थीगण ने यूरिया पर सब्सिडी के भुगतान की योजना की व्याख्या करते हुए कहा है कि यूरिया पर इस तरह की सब्सिडी और इसकी बिक्री दो अलग-अलग नीतियों, अर्थात् नई यूरिया नीति, 2015 और नई निवेश नीति, 2012 के तहत प्रदान की जाती है। सभी याचीगण यूरिया कंपनियां नई यूरिया नीति, 2015 के तहत आती हैं। प्रत्यर्थी ने आगे बताया कि यह योजना कृषि और किसान कल्याण विभाग के साथ तैयार की गई है जो देश में प्रत्येक मौसम अर्थात् *खरीफ* और *रबी* में उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। इसके बाद कंपनियां अनुमानित आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन करती हैं। तत्पश्चात् सरकार यूरिया की एम.आर.पी. निर्धारित करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी करती है। याचिकाकर्ता कंपनियां निर्धारित प्रोफार्मा में सब्सिडी के लिए अपनी गणना प्रस्तुत करती हैं, जो निम्नानुसार है:

	<u>विवरण</u>	**<u>राशि (रु./एम.टी.)</u>**
क.	**परिवर्तनीय लागत**	
जोड़ें:	ऊर्जा लागत	
जोड़ें	बैग की लागत	
जोड़ें:	पानी की लागत	
जोड़ें:	बिजली की लागत	
क	कुल परिवर्तनीय लागत	
ख.	**निश्चित लागत *(इसमें श्रम-शक्ति लगत, मूल्यह्रास, मरम्मत और रखरखाव लागत, ब्याज और वित्तपोषण शुल्क, इक्विटी पर लाभ आदि शामिल हैं)***	

	लाभ सहित कुल लागत (क+ख)	
घटाएँ	**निवल एम.आर.पी.**	
	सब्सिडी	

20. प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया कि विनिर्माण कंपनियों द्वारा नियोजित पूंजी 04.06.2002 के नीति मानदंड के पैरा 18 पर आधारित है, जिसमें दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि पर ब्याज शामिल है।

21. प्रत्यर्थीगण ने अपने संक्षिप्त नोट के साथ नई यूरिया नीति 2015 के तहत सब्सिडी की प्रोफार्मा गणना को संलग्न किया है। एक नमूने के रूप में, याचीगण में से एक, ग्रासिम (अब इंडोरामा) के लिए सब्सिडी की प्रोफार्मा गणना यहां नीचे दी गई है:

	<u>विवरण</u>	**<u>राशि (रु/एमटी)</u>**
क.	परिवर्तनीय लागत	
जोड़ें:	ऊर्जा लागत	15,830.76
जोड़ें	बैग की लागत	252.09
जोड़ें:	पानी की लागत	3.70
जोड़ें:	बिजली की लागत	
क.	**कुल परिवर्तनीय लागत**	**16,087**
ख.	**निश्चित लागत** *(इसमें श्रम-शक्ति लगत, मूल्यह्रास, मरम्मत और रखरखाव लागत, <u>ब्याज और वित्तपोषण शुल्क,</u> इक्विटी पर लाभ आदि शामिल हैं)*	2,062
	लाभ सहित कुल लागत (क+ख)	18,149
घटाएँ	निवल एम.आर.पी.	4,974

	सब्सिडी	13,175

22. जहां तक पीएण्डके उर्वरक का संबंध है, प्रत्यर्थीगण ने बताया कि राज्यों से प्राप्त आकलन के आधार पर, उर्वरक विभाग के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पुनः कंपनियां देश में आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन करती हैं। जब घरेलू उत्पादक देश के भीतर उर्वरकों की कुल आवश्यकता/मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात भी किया जाता है।

23. एन.बी.एस. योजना के अंतर्गत उर्वरक विभाग पीएण्डके उर्वरकों पर प्रत्येक वर्ष/मौसम अर्थात् *खरीफ* और *रबी* के आरंभ में एन.बी.एस. सब्सिडी की घोषणा करता है। सब्सिडी की घोषणा प्रत्येक पोषक-तत्व अर्थात् एन(नाइट्रोजन), पी(फॉस्फेट), के(पोटाश) और एस(सल्फर) के लिए प्रति किलोग्राम के आधार पर की जाती है जिसे इन उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड में पोषक तत्व सामग्री के आधार पर प्रति टन सब्सिडी में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान में एन.बी.एस. नीति पीएण्डके उर्वरकों के 25 ग्रेडों पर लागू है जिनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एम.ए.पी.), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी.एस.पी.), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.), अमोनियम सल्फेट, शीरा से प्राप्त पोटाश (पी.डी.एम.) और एन.पी.के.एस. मिश्रित उर्वरकों के अन्य 18 ग्रेड शामिल हैं। पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन/आयात करने वाली कंपनियां भारत सरकार से

प्राप्त होने वाली सब्सिडी राशि की कटौती करने के बाद खुदरा विक्रेता बिन्दु तक हुई/होने वाली खर्च के आधार पर पीएण्डके उर्वरकों की एम.आर.पी. को उचित स्तर पर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

24. भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों को सब्सिडी प्रदान करना है ताकि उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को उचित दरों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

25. याचीगण कंपनियों से लागत डेटा विश्लेषण लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एम.आर.पी. उचित मूल्य पर तय की गई है। लागत आंकड़ों में लाभ का तत्व शामिल होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता कंपनियां पीएण्डके उर्वरकों की एम.आर.पी. को उचित स्तर पर बनाए रखें। उर्वरक विभाग ने 2019 में एक नीति/दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सरकार खुदरा विक्रेता तक कंपनियों द्वारा किए गए/किए जाने वाले सभी लागतों पर विचार करने के बाद पीएण्डके उर्वरकों पर 12% तक के मार्जिन को उचित मार्जिन माना है। उर्वरक की लागत को दर्शाने के लिए एक प्रोफार्मा जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

	विवरण	**राशि**
	आयात/उत्पादन की लागत	
जोड़ें:	प्रशासनिक लागत	
जोड़ें	विक्रय और वितरण लागत	
जोड़ें:	<u>ब्याज और वित्तपोषण लागत</u>	

	कुल विक्रय लागत	
घटाएँ	उत्पाद सब्सिडी	
घटाएँ	भाड़ा सब्सिडी	
	निवल विक्रय लागत	
जोड़ें:	कंपनी का मार्जिन	
जोड़ें:	व्यापारी का मार्जिन	
जोड़ें:	छूट	
	एम.आर.पी.(टैक्स को छोड़कर)	
जोड़ें:	कर (जीएसटी)	
	एम.आर.पी.	

26. एन.बी.एस. योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी पीएण्डके कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने लागत आंकड़े वार्षिक आधार पर उर्वरक विभाग को पूरे किए गए प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए 31 अगस्त तक प्रस्तुत करें।

27. जहां कंपनियों को अनुचित लाभ अर्जित करते हुए पाया जाता है, वहां दिनांक 15.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में वसूली आदेश जारी किए जाते हैं।

28. प्रत्यर्थीगण ने दावा किया है कि एन.बी.एस. योजना उर्वरक विनिर्माण/आयात करने वाली कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। कोई भी इच्छुक उर्वरक कंपनी, जो या तो अधिसूचित पीएण्डके उर्वरक ग्रेडों का विनिर्माण कर रही है या

उसका आयात कर रही है, प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकती है।

29. प्रत्यर्थीगण ने विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न उर्वरकों के लिए सब्सिडी भुगतान प्रक्रियाओं की व्याख्या निम्नानुसार की है: -

(क) **<u>यूरिया</u>**

जिलों में उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर विनिर्माताओं को 95% सब्सिडी जारी की जाती है। शेष 5% का दावा राज्य सरकार द्वारा एम-एफ.एम.एस. में मात्रा के प्रमाणन और एम-एफ.एम.एस. के जरिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा उर्वरक प्राप्ति की पुष्टि के अधीन जारी किया जाता है। मात्रा का राज्य प्रमाणन प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दिया जाना होता है, अन्यथा इसे प्राप्त माना जाता है। गुणवत्ता का राज्य प्रमाणन 180 दिनों के भीतर दिया जाना है।

(ख) **<u>पीएंडके उर्वरक (एस.एस.पी. को छोड़कर)</u>**

पीएण्डके उर्वरकों पर 85-90% सब्सिडी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र के आधार पर जिले में उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर लेखागत अदायगी के रूप में जारी की जाती है। शेष 10-15% दावा राज्य सरकार द्वारा एम-एफ.एम.एस. में मात्रा के प्रमाणन के साथ-साथ एम-एफ.एम.एस. के द्वारा खुदरा विक्रेताओं द्वारा उर्वरक रसीद की

पुष्टि के अधीन जारी किया जाता है। मात्रा का राज्य प्रमाणन प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दिया जाना होता है, अन्यथा इसे प्राप्त माना जाता है। गुणवत्ता का राज्य प्रमाणन 180 दिनों के भीतर दिया जाना होता है, अन्यथा, इसे छह महीने की समाप्ति के बाद प्राप्त माना जाता है।

(ग) **<u>एस.एस.पी.</u>**

एस.एस.पी. की विक्रय के मामले में, एस.एस.पी. पर 85-90% सब्सिडी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर पहली बिक्री के आधार पर लेखागत अदायगी के रूप में जारी की जाती है। शेष 10-15% दावा राज्य सरकार द्वारा एम-एफ.एम.एस. में मात्रा के प्रमाणन के साथ-साथ एम-एफ.एम.एस. के जरिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों की प्राप्ति की पुष्टि के तहत जारी किया जाता है। मात्रा का राज्य प्रमाणीकरण प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दिया जाना होता है, अन्यथा इसे प्राप्त माना जाता है।

30. प्रत्यर्थीगण ने आगे बताया है कि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले, उर्वरक विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग और राज्य सरकारों के परामर्श से, वार्षिक आधार पर देश में विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है, और उर्वरकों की समग्र आवश्यकता के आधार पर, वित्त मंत्रालय को बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात्, वित्त मंत्रालय प्राथमिकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संसद के अनुमोदन से उर्वरक विभाग सहित प्रत्येक विभाग को एक

निश्चित राशि आबंटित करता है। तत्पश्चात् बजट प्रावधानों की समीक्षा करने और संशोधित अनुमान (आर.ई.) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर प्रस्तुत आवश्यकता के आधार पर अनुपूरक अनुदान मांगों के तहत अतिरिक्त बजट के आबंटन पर विचार करता है और देश में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जहां कहीं आवश्यक होता है, संशोधित आबंटन करता है। यद्यपि सब्सिडी के भुगतान के लिए बजटीय प्रावधान विभिन्न उर्वरकों की संभावित आवश्यकता के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी उर्वरकों की अधिक खपत, यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और यूरिया की उत्पादन लागत में वृद्धि, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और उर्वरक कंपनियों द्वारा उर्वरकों के बफर स्टॉक को बनाए रखने के कारण सरकार पर सब्सिडी का भार काफी बढ़ सकता है। जब कभी भी निधियों की कमी देखी जाती है, तो उर्वरक विभाग पूरक अनुदानों अथवा संशोधित अनुमानों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए तत्काल सभी संभव प्रयास करता है। यदि कोई अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत बैंकों के साथ विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एस.बी.ए.) करके कंपनी के सब्सिडी बिल के एवज में अल्पावधि ऋण जुटाने का व्यवहार्य सीमा तक सुविधा प्रदान की जाती है। कभी-कभी, मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा प्रोफार्मा के रूप में गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रिया संबंधी मुद्दों के कारण सब्सिडी के भुगतान में विलंब हो सकता है। वर्ष 2015-2016 से उर्वरक विभाग

ने राज्य सरकार से छह महीने के भीतर प्रोफार्मा प्राप्त न होने की स्थिति में उसे प्राप्त होने का प्रावधान कर दिए हैं।

31. उपरोक्त के आधार पर, प्रत्यर्थीगण का दावा है कि प्रत्यर्थी उर्वरक कंपनियों को अग्रिम रूप से 85-90% सब्सिडी का भुगतान कर रहे हैं, इससे पहले कि कंपनियां वास्तविक लाभार्थी, यानी किसानों को लाभ दें। यह दावा किया गया कि प्रत्यर्थी जल्द से जल्द कंपनियों के शेष राशि का भुगतान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं, हालांकि, निधि की अनुपलब्धता के कारण सब्सिडी के भुगतान में देरी हो सकती है। सब्सिडी के भुगतान में विलंब होने के कारण ब्याज के भुगतान के लिए नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

32. उपरोक्त से जो बात सामने आती है वह यह है कि यूरिया और पीएंडके उर्वरकों दोनों के लिए सरकार का उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर ये उर्वरक उपलब्ध कराना है। यूरिया के लिए, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान उर्वरक निर्माता कंपनियों को लागत और विक्रय मूल्य के अंतर के बिल के आधार पर किया जाता है जो सरकार द्वारा तय किया जाता है। पीएण्डके उर्वरकों के लिए यह सुनिश्चित करते हुए किसानों को दिया जाता है कि उर्वरक विनिर्माण/आयात करने वाली कंपनियां सरकार से प्राप्त सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए उर्वरकों का उचित मूल्य निर्धारित करें।

अतः दोनों ही मामलों में किसानों के लिए उर्वरक का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित/निगरानी किया जाता है।

33. यह भी सामने आया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों के खातों की जांच प्रत्यर्थीगण द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त हो गया है और उर्वरक विनिर्माण/आयात करने वाली कंपनियों द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है। हालांकि, उर्वरक विनिर्माण/आयात करने वाली कंपनियों के दावों को प्रक्रमित करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा कठिन समय-सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग अवधि के लिए विलंब हो सकती है। हालांकि, यूरिया और/या पीएंडके उर्वरकों के लिए सब्सिडी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली नीति/योजना में उर्वरक निर्माण/आयात करने वाली कंपनियों को ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यर्थीगण मानते हैं कि इन कंपनियों के इस तरह के ब्याज के दावे को ध्यान में रखा गया है और उनके द्वारा अपने संबंधित लागत विवरण प्रस्तुत करते समय, जैसा कि ऊपर दिया गया है, को इसमें शामिल किया गया है।

34. ***राम गंगा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि योजना में एक खंड था जो उस मामले में ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है जहां उर्वरक कंपनी को अधिक मात्रा में सब्सिडी प्राप्त हुई है, समानता के सिद्धांत पर,

सरकार को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश जहां सब्सिडी जारी करने में देरी हुई है, पारित नहीं किया जा सकता। मैं इस निर्णय से निम्नानुसार उद्धरण दे सकता हूँ:

> *10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेरा ध्यान योजना की शर्तों की ओर आकर्षित किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता एफ.आई.सी.सी. के खाते में एक विशेष अवधि के भीतर प्राप्त सब्सिडी की अतिरिक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यशील पूंजी के लिए बैंक की ब्याज दर के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत की दर से प्रत्यर्थीगण को ब्याज का भुगतान करना होगा। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तर्क की इसी समानता के आधार पर प्रत्यर्थीगण को याचीगण को भी ब्याज का भुगतान करना चाहिए, जबकि सब्सिडी का भुगतान करने में उनकी ओर से अत्यधिक देरी हुई है। मेरे विचार में, हालांकि तर्क और सादृश्य की समानता के आधार पर, पहली नजर में याचीगण के पक्ष में इस तरह की शर्त का अभाव अजीब और असंगत लग सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि जबकि याचीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को ब्याज के भुगतान के लिए एक विशिष्ट शर्त योजना में मौजूद है, इसे याचीगण के पक्ष में टाला गया है। इसलिए, प्रत्यर्थीगण द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए ऐसी शर्त के अभाव में, ऐसे बाध्यकारी कारण होने चाहिए, जिसके लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखा जाना चाहिए।*

35. उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने ***दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी*** (पूर्वोक्त) में अनुसरण किया, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"6. एफ.आई.सी.सी. के निर्णय के बाद इस याचिका में अब केवल यही मुद्दे बचे हैं:—

xxxx

iii) ब्याज

याचीगण ने कहा कि प्रत्यर्थी को ब्याज के साथ 1983 में देय राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाए क्योंकि प्रतिवादी ने याचीगण को देय राशि को गलत तरीके से रोक दिया है। याचीगण ने कहा कि इस योजना के तहत अतिरिक्त राशि के भुगतान में विलंब होने से उस इकाई को 16% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान पड़ता है, जिसकी प्रतिधारण मूल्य कारखाना मूल्य से कम है। ऐसा हो सकता है लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि योजना उन इकाइयों को ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं करती है जिसकी योजना के तहत प्रतिधारण मूल्य कारखाना मूल्य से अधिक है और जो दावा प्रस्तुत करने पर निधि खाते से अंतर प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः इस योजना में एफ.आई.सी.सी. द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं परिकल्पित किया गया है। मूल्य निर्धारण एक समय लगने वाली प्रक्रिया है और यही कारण हो सकता है कि योजना में निधि से ब्याज के भुगतान की बात नहीं कही गई है। राम गंगा उर्वरक आदि बनाम भारत संघ, सि.रि. 2062/93 में 30 जुलाई 1993 को दिए गए मेरे (डी.के. जैन, न्या.) एक निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि जहां योजना में याचीगण द्वारा प्रत्यर्थी को ब्याज के भुगतान के लिए एक विशिष्ट शर्त मौजूद है और और याचिकाकर्ता को ब्याज के भुगतान के लिए ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है, ब्याज देने के लिए बाध्यकारी

कारण होने चाहिए जिसके लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में स्थिति समान है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, याचिकाकर्ता किसी भी ब्याज के भुगतान के हकदार नहीं हैं। हमें याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ब्याज देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं मिलते हैं।

36. उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय के एक अन्य माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा ***वरिंदर एग्रो केमिकल लिमिटेड*** (पूर्वोक्त), में निम्नानुसार दोहराया गया है:

6. वर्तमान मामले में, 11 नवंबर, 1982 के संसूचना में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान होने पर याचीगण द्वारा देय ब्याज दर निर्धारित की गई है। परन्तु, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता भी उसी आधार पर ब्याज के हकदार होंगे, जबकि ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो याचिकाकर्ताओं को भी ब्याज के भुगतान की अनुमति देगा.....

XXXX

8. उच्चतम न्यायालय ने ओम प्रकाश गार्गी बनाम भारत संघ (1996) 11 एस.सी.सी. 399 के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में चिकित्सा लाभों की प्रतिपूर्ति में देरी के प्रश्न का निपटान किया और अभिनिर्धारित किया कि कि प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य को निदेश देना अनुपयुक्त और उचित नहीं है। फैसले के पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित व्याख्या की गई है:

"हमें इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता। यह सच है कि लेकिन सरकार द्वारा दी गई राशि की प्रतिपूर्ति के लाभ के लिए, याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या चिकित्सा व्यय के लिए खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति में देरी के कारण, राज्य को विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए? हमारा विचार है कि प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान में देरी के लिए राज्य को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देना अनुचित और अनुपयुक्त है। इसके लिए याचिकाकर्ता और इसी तरह के व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि के सत्यापन की आवश्यकता होती है। उसका अधिकार केवल प्रतिपूर्ति प्राप्त करना है और इसका अर्थ यह नहीं है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में विलंब के लिए उसे उस पर ब्याज का भी हकदार होना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश विशेष अनुमति याचिका को आरंभ में ही खारिज करने के लिए था। इसलिए, यह उसी का पालन करने के लिए कोई निर्णयाधार प्रस्तुत नहीं करता है। इन परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों की देरी से प्रतिपूर्ति पर ब्याज का भुगतान करना उचित होगा।

9. भुगतान में देरी के कारण या कारणों का निर्धारण करने के लिए अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करके ब्याज के दावे का न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए। याचीगण के दावे का सत्यापन करना आवश्यक है और प्रत्यर्थीगण ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान

राशि का भुगतान किया है। विचार के लिए उठने वाले तथ्य के प्रश्नों की जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में नहीं की जा सकती है। इसलिए, याचीगण का दावा विफल हो जाता है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है। नियम उन्मोचित किया जाता है। जुर्माना से संबंधित कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(जोर दिया गया)

37. उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, इसलिए, वर्तमान याचिका में याचीगण द्वारा दावा की गई राहत को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय याचीगण को विशेष राहत प्रदान करने के लिए कोई नीति नहीं बना सकता या ऐसी नीति में कोई विशेष प्रावधान नहीं कर सकता। नीति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का केवल इसलिए उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा ब्याज के भुगतान का प्रावधान करते समय, यह याचीगण के दावे को प्रक्रमित करने या भुगतान करने में देरी के मामले में प्रत्यर्थीगण द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए व्यतिकारी प्रावधान प्रदान नहीं करता है। इस तरह की चुनौती या दावे को वैध अपेक्षा के आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है।

38. ***डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ***, (2006) 3 एस.सी.सी. 129 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"35. अनुच्छेद 14 के तर्क की ओर मुड़ते हुए, हम अब स्वीकृत स्थिति को जोरदार ढंग से दोहराते हैं कि अनुच्छेद 14 को इस न्यायालय को किसी आर्थिक योजना या मूल्य निर्धारण नीति की पेचीदगियों को उसके गुणागुण या उसकी शुद्धता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सरकार की कार्यपालिका या विधायी शाखाओं का क्षेत्र है। वास्तव में, भले ही योजना, जैसा कि संशोधित किया गया है, "मूर्खतापूर्ण" या यहां तक कि "अन्यायपूर्ण" है, हमारे सामने कोई सहारा नहीं है, जैसा कि जस्टिस होम्स ने सुरुचिपूर्ण ढंग से कहा है:

> *"हम पूरी तरह से समझते हैं कि ... कानून की समझदारी के खिलाफ़ बहुत शक्तिशाली तर्क दिया जा सकता है,, लेकिन उस बिंदु पर हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह हमारी चिंता नहीं है।*

<u>36. हम मोटे तौर पर उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत हैं कि प्रशासनिक विवेकाधिकार के मामलों में यह अदालतों के लिए सूक्ष्म विवरण में हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं है, सिवाय दुर्भावना या अत्यधिक मनमानेपन के आधार पर। हस्तक्षेप केवल बहुत संकीर्ण सीमाओं के भीतर होना चाहिए, जैसे, जहां किसी क़ानून या संवैधानिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, या वेडनेसबरी के अर्थ में अत्यधिक मनमानापन है।</u> न तो उच्च न्यायालय और न ही हमने प्रतिधारण मूल्य योजना के प्रशासन और आनुषंगिक सब्सिडी राशियों के भुगतान/वसूली में इनमें से कोई भी दोषपूर्ण कारक पाया है। इस प्रकार, हमारे विचार में, सब्सिडी ढांचे पर प्रतिकूल रूप से संशोधन करने के लिए एफ.आई.सी. समिति की कार्रवाई पर इसके गुणागुण पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

39. ***पैरिसंस एग्रोटेक (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ,*** (2015) 9 एस.सी.सी. 657, में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिट कोर्ट के पास ऐसे निर्णयों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की पर्याप्त शक्ति है। तथापि, एक बार जब यह पाया जाता है कि किसी विशेष नीतिगत निर्णय को लेने के लिए पर्याप्त सामग्री है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे में लाते हुए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति ऐसे नीतिगत निर्णय की शुद्धता का निर्धारण करने या यह पता लगाने की कवायद में शामिल नहीं होगी कि क्या अधिक उपयुक्त या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। एक बार जब हम पाते हैं कि अनुच्छेद 14 के मापदंड संतुष्ट हैं; निर्णय पर पहुंचने में विवेक का उचित उपयोग किया गया है, जो ठोस सामग्री द्वारा समर्थित है; निर्णय मनमाना या तर्कहीन नहीं है और; यह जनहित में लिया गया है, तो न्यायालय को कार्यपालिका के ऐसे निर्णय का सम्मान करना होगा क्योंकि नीति निर्माण कार्यपालिका का क्षेत्र है और प्रश्नगत निर्णय न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है।*
>
> (जोर दिया गया)

40. ***देवयानी फॉस्फेट (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ***, 2013 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 448, में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *31. यह सुस्थापित है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में भारत सरकार को भी सहयोग की आवश्यकता होती है। आर्थिक नीति के क्रियान्वयन में आने वाली हर प्रकल्पनीय समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं है। यदि कुल मिलाकर नीति अच्छी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करती है जिसे वह प्राप्त करना चाहती है, तो*

न्यायालय को नीति में मौजूद खामियों को दूर करने या कथित दोषों को ठीक करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कोई दूसरा दृष्टिकोण उपलब्ध है। नीतियां पिछले अनुभव, अनुभवजन्य डेटा के मिलान और प्रयोग के तत्व के आधार पर बनाई जाती हैं। इसलिए, न्यायालयों ने बार-बार संकेत दिया है कि यदि राज्य की नीतियों पर हमला किया जाता है, तो उन्हें दुर्भावनापूर्ण या अत्यधिक मनमानेपन या असंवैधानिक या यहां तक कि वैधानिक या कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने के बहुत संकीर्ण आधार पर अपास्त किया जा सकता है। इस संबंध में इस अदालत के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कई निर्णय दिए गए हैं। मुझे इस संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराते हुए निर्णय पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना ही पर्याप्त है कि वर्तमान मामले की चाहे जिस भी तरीके से जांच की जाए, यह अत्यधिक मनमानी या चुनौती के किसी अन्य ज्ञात आधार के दायरे में नहीं आता है, जो शायद मुझे इस नीति को रद्द करने के लिए राजी कर सकता था।

(जोर दिया गया)

41. जबकि ब्याज के भुगतान और उस के दावे के औचित्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, यूरिया और पीएंडके उर्वरकों पर लागू सब्सिडी की उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि, दोनों ही मामलों में, लागत विश्लेषण के उद्देश्य से, याचीगण को उर्वरक के विनिर्माण/आयात की लागत में ब्याज घटक को स्वैच्छिक रूप से और स्व-घोषणा के आधार पर घोषित करना आवश्यक है। हालांकि, याचीगण का दावा है कि वे इस तरह की घोषणा में दावा नहीं करते हैं या सब्सिडी के विलंब से

जारी होने पर ब्याज का दावा करने की स्थिति में भी नहीं हैं, प्रत्यर्थीगण ने कहा है कि याचीगण पर इसका दावा करने के लिए नीति में कोई रोक नहीं है। वे कहते हैं कि अन्यथा भी, ये कार्यशील पूंजी लागत में किसी न किसी रूप में जुड़ जाते हैं।

42. क्या याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा प्रस्तुत लागत दावे में ब्याज का दावा अंतर्निहित है, इसलिए, तथ्य का यह विवादित प्रश्न है। इसके अलावा, प्रत्येक मामले में, सब्सिडी के भुगतान में देरी के कारण अलग-अलग हो सकते हैं; कुछ ब्याज का दावा करने के लिए उचित आधार को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा एकसमान नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये मामले सिविल विवाद के रूप में और वाद के रूप में निपटाए जाने के लिए बेहतर होंगे।

43. एन.पी.एस.-III का खंड 7 (iv), जिस पर याचीगण के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया है, निम्नानुसार है:

> *7. यूरिया को जिला स्तर और उससे नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया है:-*
>
> *xxxx*

(iv) नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त यूरिया के लिए जिला स्तर तक योजनाबद्ध संचलन की अनुरूपता के आधार पर अलग-अलग इकाइयों को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। भुगतान प्रणाली की समय-सीमा यानी 45 दिनों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यूरिया इकाइयों को सब्सिडी जारी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता न हो। सब्सिडी का भुगतान तभी किया जाएगा जब यूरिया जिले में पहुंचेगा।

44. हालाँकि उपरोक्त खंड, जो यूरिया उर्वरक के सब्सिडी पर लागू है, में कहा गया है कि 45 दिनों के भुगतान की समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए, भुगतान में देरी होने की स्थिति में ब्याज का भुगतान करने के लिए देयता के रूप में कोई परिणाम प्रदान नहीं किए गए हैं। इस खंड का उद्देश्य प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है ताकि यह प्रयास किया जा सके कि भुगतान 45 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए। जैसा कि ***दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स*** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया है, उपरोक्त प्रावधान के बावजूद इस योजना में ब्याज के भुगतान को निर्धारित नहीं करने के कारण हो सकते हैं, जिसके तहत मार्गदर्शन के लिए समय अवधि तय की गई है जिसके भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। प्रावधान का पठन केवल निर्देशिका प्रकृति के रूप में की जानी चाहिए।

45. ब्याज के भुगतान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत से कोई विवाद नहीं हो सकता जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***क्लैरिएंट इंटरनेशनल लिमिटेड*** (पूर्वोक्त)

और ***जी.सी. रॉय*** (पूर्वोक्त), में स्पष्ट किया है कि यद्यपि, एक ही समय में, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्रत्येक में विलंब को अलग-अलग देखना होगा, और ब्याज के भुगतान या नीति में ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल करने के लिए एक सामान्य निर्देश और/या बहुप्रयोजनीय निर्देश इस न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।

46. उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं मिलती है। तदनुसार लंबित आवेदन के साथ इसे खारिज किया जाता है।

47. जुर्माना के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

न्या. नवीन चावला

जनवरी 9, 2024/आर्य/एस.एस./ए.एम.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*